

समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़

महानदी खण्ड, डी.के.एस.भवन, परिसर, रायपुर

फोन नं. 0771-4257806, फैक्स नं.-0771-4257804, ई-मेल dpsw.cg@gmail.com वेब साइट- sw.cg.gov.in

क्रमांक/सक/2016/2302

रायपुर, दिनांक 03.08.2016

प्रति,

प्राचार्य
शासकीय डिग्री
B.G.P. माली
रुलिम रायपुर

महत्त्वपूर्ण

विषय :- सुगम्य भारत अभियान विषयक।

---:00:---

निःशक्तजन अधिनियम 1995 के अन्तर्गत दिव्यांग व्यक्तियों हेतु सार्वजनिक एवं शासकीय भवनों को आवागमन के लिये सुगम्य बनाना है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान प्रारंभ किया गया है। सुगम्य भारत अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रायपुर शहर का चयन किया गया है। आपकी संस्था में दिव्यांगजनों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए चयनित भवनों में आपकी संस्था को शामिल किया गया था। एक्सेस आडिट द्वारा संलग्न प्रतिवेदन के अनुरूप आपको दिव्यांगजनों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक संशोधन कराया जाना है। कृपया उक्त एक्सेस आडिट प्रतिवेदन के कठिनाइयों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित कर प्रतिवेदन इस संचालनालय को प्रेषित करें।

संलग्न :- यथोपरि।



(डॉ. संजय अलवार)
संचालक
समाज कल्याण
छत्तीसगढ़
रायपुर, दिनांक 03.08.2016

क्रमांक/सक/2016/2303

प्रतिरिपि :-

1. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, को सूचनार्थ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं निःशक्तजन अधिनियम 1995 के धाराओं अनुरूप अधीनस्थ चिन्हांकित संस्थाओं को बाधारहित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
रायपुर
6-8-16

संचालक
समाज कल्याण
छत्तीसगढ़

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कालीबाड़ी चौक, रायपुर, छ.ग. 492001
Ph/Fax 0771-2229248, E-Mail: dbgirls@yahoo.co.in

क्र./754/स्था./2016

रायपुर, दिनांक 21-9-16

प्रति,

डॉ. किरण गजपाल,
संयुक्त संचालक,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- सुगम्य भारत विषयक।

संदर्भ :- पत्र क्रमांक 289/414/आ.उ.शि./समन्वय/2016/दिनांक 29.08.2016।

-----00000-----

संलग्न

संदर्भित पत्र संलग्न कर लेख है कि निःशक्तजन अधिनियम 1995 के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों हेतु सार्वजनिक एवं शासकीय भवनों को आवागमन के लिये सुगम्य बनाने हेतु महाविद्यालय का एक्सेस ऑडिट करवाया गया है। एक्सेस ऑडिट प्रतिवेदन के कंडिकाओं के अनुरूप लोक निर्माण विभाग से प्राक्कलन प्रस्तुत है।

संलग्न :- लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राक्कलन प्रस्ताव प्रथम स्तर।

(डॉ. अरविंद गिरोलकर)
प्राचार्य

शा.दू.ब.म.स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कालीबाड़ी चौक, रायपुर, छ.ग.
492001

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1, रायपुर

ज्ञापन क्रमांक 6758/11-3-10/शिल्प

रायपुर, दिनांक 22-8-16

प्रति,

मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
रायपुर परिक्षेत्र, रायपुर (छ.ग.)

विषय :- सुगम्य भारत अभियान के तहत चिन्हाकित भवनों के प्राक्कलन तैयार करने के संबंध में ।


संदर्भ :- आपका ज्ञाप क्र.-61206/173/कार्य/16-17/रायपुर, दिनांक 11/08/2016 (इस कार्यालय में दिनांक 17.08.2016 शाम को प्राप्त)

-----000-----

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार/चर्चानुसार सुगम्य भारत अभियान के तहत निम्नलिखित भवनों का प्रथम स्तरीय प्राक्कलन संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

S.No	Name of Building	Amount
1	J.N. Pandey Higher Secondary School Raipur	64,98,240
2	Directorate of Medical Education, Raipur	76,80,240
3	Jansampark Vibhag, Raipur	68,40,240
4	Chhattisgarh Minority Commission Raipur	54,23,240
5	Chhattisgarh Collage Raipur	81,17,620
6	Ramdayal Tiwari Higher Secondary School Raipur	46,72,620
7	Mayaram Surjan Higher Secondary School Raipur	49,72,620
8	Naveen Saraswati Kanya Higher Secondary School Raipur	46,72,620
9	Hindu High School Raipur	46,72,620
10	Govt Degree BGP Girls Collage Raipur	75,53,240
Grand Total -		6,11,03,300

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार ।
10-नग प्रथम स्तरीय प्राक्कलन
के प्रति में ।



कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1,
रायपुर

पृ. क्रमांक 6759/11-3-10/शिल्प

रायपुर, दिनांक 22-8-16

प्रतिलिपि :- (1) प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर के ओर सूचना के संबंध में ।
(2) अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग मडल क्र.-1, रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
(3) अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क्र.-1 एवं मेंटनेंस उपसंभाग रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित । वे कृपया उपसंभाग के अधीनस्थ भवनों का विस्तृत प्राक्कलन एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार एवं 2
के प्रति में सरल क्र.-1 के लिए ।


कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1,
रायपुर

Lehan
22/8/16